राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहा
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 209/2017/प्रा0पत्र/

निर्णय दिनांक :– 10.1

अनवान

1. श्री नैनालाल पिता चम्पालाल जी जाति कलाल निवासी आसन जोगेला तहसील देवगढ़
2. श्री बाबु लाल पिता रामलाल जी जाति कलाल निवासी ठीकरवास कला तहसील भीम
3. श्री प्यारेलाल पिता हीरा जी तेली निवासी ठीकरवास कला तहसील भीम
4. श्री पन्नालाल पिता चम्पालाल जी जाति कलाल निवासी आसन जोगेला तहसील देवगढ़
5. श्री रामलाल पिता श्री दल्ला जी जाति कलाल निवासी आसन जोगेला तहसील देवगढ़
6. श्री रामलाल पिता श्री गुलाब जी जाति कलाल निवासी आसन जोगेला तहसील देवगढ़
7. श्री गणेशलाल पिता श्री धन्ना जी कलाल निवासी आसन जोगेला तहसील देवगढ़

———प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री किस्तुर पिता श्री गेना जी तेली निवासी आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित :–

01. श्री ईन्द्रमल कंसारा वकील वादी

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इ
प्रकार हैं :– प्रार्थीगण एवं विपक्षी की आराजीयात ग्राम आसन (जोगेला) पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ में स्थि
हैं। प्रार्थी संख्या 1 व 4 भूमि के खाता संख्या 149/100, खसरा संख्या 1802/2 किता रकबा 1.12 बीघा एवं प्रा
संख्या 2 की भूमि खाता संख्या 214/208 खसरा नम्बर 1802/1 रकबा 0.12.10 विस्वा तथा प्रार्थी संख्या 3 की भू
खाता संख्या 70/73 खसरा नम्बर 1801/1 रकबा 0.04 विस्वा आ.चाह. खाता नम्बर 110/113 खसरा नम्ब
1673,1792 शामिल नम्बर 1793 कुल किता 2 रकबा 3.05 बीघा प्रार्थी संख्या 5 की भूमि खाता नम्बर 56/58 खसर
नम्बर 1736/1, 1769, 1770, 1771, 1774, 1776, 1771/1, 1778/2, 1778/3, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783
2808, 1570 कुल किता 16 रकबा 16.12 बीघा में खातेदारान का 3/8 हिस्सा तथा इन खातेदारान का 1/8 हिस्स
हैं। प्रार्थी संख्या 6 के खाता नम्बर 395/335 खसरा नम्बर 1571, 1731/2, 1763, 1764, 1769/1, 1772, 1805
1808, 2316/1, 2316/2, 2317, 2340, 2341, 2415, 2597, 2769/1570 कुल किता 18 रकबा 11.09 बीघा भूमि मे
मुझ खातेदार का भाई लक्ष्मणलाल सहखातेदार हैं। उसपर जो कुआ बना हुआ हैं उसपर जाने का एक मात्र रास्ता व
खाता नम्बर 8/8 खसरा नम्बर 1765/1 रकबा 0.04 विस्वा आराजी चाह को प्रार्थी संख्या 5,6 व अन्य खातेदारों का
हैं। प्रार्थी संख्या 7 के खाता नम्बर 53/55 खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.05 विस्वा चाह स्थित हैं जिसपर अलग अलग
प्रार्थीगण के आराजीयात पर 4 कुंऐ हैं कुओं एवं खेत पर जाने का एकमात्र रास्ता हैं। विपक्षी श्री किस्तुर पिता गेना जी
के खाता नम्बर 27/45 आराजी नम्बर 1794 रकबा 1.10 बीघा व आराजी नम्बर 1795 रकबा 0.14 विस्वा कुल किता 2
रकबा 2.04 बीघा विपक्षी के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण के कुऐ पर जाने का मुख्य रास्ता हाईवे रोड से होता हुआ विपक्षी
की पाली जो आराजी नम्बर 1794 व 1795 के बीच स्थित हैं

के कुऐ पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। नहीं राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता अंकित हैं। जिससे प्रार्थीगण अपने कुऐ पर जाने से महरूम रहते हैं। प्रार्थीगण के कुऐ पर जाने के लिये मौके पर वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता अथवा स्थाई रास्ता रेकार्ड में नहीं हैं। जहां प्रार्थीगण सदियों से अपने मवेशी बेलगाडी ट्रैक्टर वगैरह लेकर जाते हैं। प्रार्थीगण के कुऐं एवं खेत जाने के लिये राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को हर समय परेशानी होती हैं प्रार्थीगण अलग अलग खसरो के खातेदार हैं जिन सभी का खेतों पर जाने का कोई स्थाई रास्ता नहीं हैं प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का जो भी भूमि रास्ता विपक्षी की भूमि से ही संभव हैं। विपक्षी की जो भी भूमि रास्ते में जाती हैं उसका प्रार्थीगण नियमानुसार भुगतान करने को तैयार हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी को रास्ता खोलने बाबत् कई बार कहां लेकिन विपक्षी ने रास्ता नहीं खोला। रास्ता अवरूद्ध होने से प्रार्थीगण कृषि अधिकारों से महरूम रह रहे हैं। आराजी नम्बर 1794 रकबा 1.10 बीघा एवं आराजी नम्बर 1795 रकबा 0.14 बीघा भूमि हैं उसी भूमि में से प्रार्थीगण अपनी भूमि जा सकते हैं जो मुख्य सडक से सबसे नजदीक हैं। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण 20 फिट चौडा रास्ता चाहता हैं जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें जिससे हमेशा के लिये रास्ते की समस्या का समाधान हो जाऐगा। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को ग्राम आसन (जोगेला) पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ की आराजी नम्बर 1794 रकबा 1.10 बीघा एवं आराजी नम्बर 1795 रकबा 0.14 विस्वा भूमि के बीच में से प्रार्थीगण की आराजीयात में जाने हेतु रास्ता मुख्या सडक से अपने खेत व कुऐ पर जाने के लिये 20 फिट चौडा एवं 150 फिट लम्बा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें साथ ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। प्रत्युतर में विपक्षाी ने उपस्थित हो जवाब पेश किया जवाब में विपक्षी ने निवेदन किसा कि प्रार्थीगण के खेत व कुआ राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 से सटी हुई हैं एवं उनकी स्वयं की भूमि हैं उसमें से होकर उनकी भूमि एवं कुऐ पर आने जाने हेतु वर्तमान में रास्ता उपलब्ध हैं। यदि विपक्षी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1794 एवं 1795 में जबरन रास्ता दिया जाता हैं जो विपक्षी को भारी आर्थिक नुकसान होगा जो अर्थ संभव नहीं हैं अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को स्वयं की खातेदारी आराजी नम्बर 1777 व 1757 में से वर्तमान में आराजी रहे हैं श्रीमान स्वयं अथवा किसी उच्च अधिकारी से मौका निरिक्षण कराया जावें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 27.08.2019 को भू.अभिलेख निरिक्षक पटवारी हल्का एवं मौतबीर व्यक्तियों एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षी की उपस्थिति में मौका निरिक्षण किया मौका निरिक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली हैं। मौके पर आपसी समझाईश से प्रार्थी अपनी स्वयं की आराजी नम्बर 1764 कुआ, आराजी नम्बर 1796 कुआ, आराजी नम्बर 1801 में जाने के लिये रास्ता चाहते हैं। मौत बिरान के समक्ष प्रार्थीगण एवं विपक्षी आपसी समझाईश से प्रतिवादी की आराजी नम्बर 1796 की पूर्व दिशा से होकर स्वयं की दिवार के पास हेाकर आराजी नम्बर 1763 लक्ष्मणलाल रामलाला पिता गुलाब जी कलाल की भूमि तक जाएगा। आराजी नम्बर 1763 से 1792 में होकर 1765 कुऐ व 1792 से ही आराजी नम्बर 1791 कुआ उसके बाद आराजी नम्बर 1790 में से होकर आराजी नम्बर 1767 कुऐ तक रास्ता निकालने पर सहमत हुऐ। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1801 कुऐ र जाने हेतु आराजी नम्बर 1763 से आराजी नम्बर 1793 में होकर आराजी नम्बर 1801 में जाएगा। उक्त रास्ता 15 फिट चौडा नेशनल हाईवें से जिन जिन खातेदारों की भूमि अवास होगी उसकी राशि का भुगतान प्रार्थीगण वहन करेगें। अधिवक्ता विपक्षी ने एक प्रार्थना पत्र के साथ मौके पर बनी दिवार का सिविल ईन्जिनियर द्वारा तैयार दिवार का तकूमीना (ऐस्टीमेट) पेश किया जिसमें सिमेण्टेड दिवार की लम्बाई 173 फिट व ऊंचाई 5.6 फिट कुल 2595 वर्ग फिट जिसकी बाजार दर 54 रूपये प्रति वर्ग फिट से 1,76,745 रूपये की दुगुनी 2,80,260 कुल राशि 6,33,850 अक्षरे छः लाख तेतीस हजार आठ सौ पचास रूपये बनती हैं। अधिवक्तागण ने प्रकरण में बहस की। वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण के खेत एवं कुऐ पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं हैं नहीं राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज हैं। रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण उनके कुऐं एवं खेतपर जाने से महरूम हैं। अतः उक्त बताई गई आराजीयात में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावें तथा रास्ते का रेकार्ड में अंकन कराने के आदेश प्रदान

वर्तमान में प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। यदि विपक्षी की भूमि मे से रास्ता निकाला जात हैं तो विपक्षी की भूमि के टुकडे हो जाएगे तथा उसे भारी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति अर्थ में संभव नहीं हैं।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा पेश अन्य दस्तावेजात, जवाब विपक्षी हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उपरोक्तानुसार पाया गया की प्रार्थीगण की भूमि में जाने का मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं हैं अतः विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिलाया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जात हैं तथा विपक्षी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1796 कर पूर्व दिशा व आराजी नम्बर 1763 से 1793 तक 15 फिट चौडा रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि की किमत विपक्षी की दिवार की किमत 1,76,745 की दुगुनी 3,53,490 राशि विपक्षी को अदा करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण को लिखा जावें कि उक्त राशि तहसील कार्यालय में जमा करावें तथा विपक्षी को लिखा जावें कि उक्त राशि तहसील कार्यालय से प्राप्त करें। तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि आराजी नम्बर 1796 व आराजी नम्बर 1763 से 1793 तक 15 फिट रास्ते में जो भूमि अवाप्त होगी उनके खातेदारों की तथा किस किस खातेदार की रास्ते हेतु कितनी कितनी भूमि अवाप्त होगी तथा वर्तमान दर अनुसार उसकी किमत कितनी होगी रिपोर्ट मय डी.एल.सी. की फोटो प्रति के साथ करें। कुलिया राशि विपक्षी को भुगतान होने पर रास्ते का रेकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें पत्रावली दिनांक 07.11.2019 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द